नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 39.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय मृदा तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) के अधीन भारतीय मृदा और भू-उपयोग सर्वेक्षण में ज्येष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (ज्येष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2013 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.--वह व्यक्ति,---
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड, ग्रेड वेतन सहित	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी	1* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600— 39100 रु. ग्रेड वेतन 7600 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और:अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	
1'	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		
(7)	(8)	(9)	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रितिनयुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

(11)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में ऐसे मृदा सर्वेक्षण अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा छठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
	(13)		
मागी य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।		
अध्यक्ष			
—सदस्य			
	—अध्यक्ष —सदस्य —सदस्य —सदस्य		

[फा. सं. 16-1/2009-एनआरएम-II]

भीम सिंह, अवर सचिव (एनआरएम)

टिप्पण: मूल भर्ती नियम तारीख 19-8-2004 को प्रकाशित सा.का.नि. 314 द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

385 40/13-19

New Delhi, the 8th February, 2013

- G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey Organisation (Senior Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Soil Survey Officer in the Soil and Land Use Survey of India under the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation), namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Senior Soil Survey Officer) Recruitment Rules, 2013.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said posts, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
 - 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification		Pay Band, Pay Scale with Grade Pay	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
Senior Soil Survey Officer	1*(2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group Gazetted, Non-Ministerial	'A',	PB-3, Rs. 15600— 39100 (Grade Pay Rs. 7600)	Non-selection	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees			<u>•</u>	
(7)			(8)			(9)
Not applicable			Not applicable			Not applicable

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rec grades from be made	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made			
(10)		(11)			
By promotion	Promotion: Soil Survey Officers in the PB-3 (Rs. 15600—39100), Grade of Rs. 6600 with 5 years' of regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their sen would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than hall such qualifying (eligibility) service or two years, whicheve less, and have successfully completed their probation period, promotion to the next higher grade, alongwith their juniors whave already completed such qualifying (eligibility) service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service promotion, the service rendered on a regular basis by officer prior to 1-1-2006, the date from which the revised particular based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to service rendered in the corresponding grade pay or pay so extended based on the recommendations on the Pay Commission.				
If a Departmental Promotion Committee exists, what composition	is its	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment			
(12)		(13)			
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :—	considering	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.			
Chairman or Member of Union Public Service Commission	—Chairman	•			
Joint Secretary (Administration), Department of Agriculture and Co-operation	—Member				
 Joint Secretary (Natural Resources Management Division), Department of Agriculture and Co-operation 	t —Member				
4. Additional Commissioner (Natural Resources Management), Department of Agriculture and Co-operation	—Member				
Cheif Soil Survey Officer, Soil and Land Use Survey of India	Member				

[F. No. 16-1/2009-NRM-II]

BHIM SINGH, Under Secy. (NRM)

Note: The principal recruitment rules have been notified vide G.S.R. 314, published on 19-8-2004.